21/10/2020 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी ~~निर्वाचन कार्य~~। अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 14.12.2020 को पेश हो।

14/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान अनुपस्थित हैं। न्याय हित में उपस्थित होने हेतु एक अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 23.12.2020 को पेश हो।

23/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है। प्र. सं. (1) से (6) तक को यथायोग्य समय में बार-बार आवाजें लगवाई गईं परन्तु स्वयं या उनकी ओर से अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.12.2020 को पेश हो।

24/12/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए

सहायक कलक्टर
(एस डी ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

65 सन् 2020 किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र

हीरा बनाम देवा वगैरह

आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
प्रार्थी अदालत मे बताया कि ग्राम सादिया की जमाबंदी सम्वत 2069-72 के खाता संख्या 16 किता-10 रकबा 6-12-10 बीघा भूमिया प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो व माता के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है प्रार्थी की माता नाथी बाई की मृत्यु हो चुकी है व प्रार्थी के भाई कालु व रामा अविवाहित होकर 30-35 वर्षो से लापता है तथा जिनके होने या न होने के कोई समाचार नही है उक्त भूमियो पर प्रार्थी का ही हक अधिकार है विपक्षीगण को कोई हक अधिकार नही है जिसके सम्बन्ध मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसके निस्तारण मे समय लगेगा। तब तक विपक्षीगण वादग्रस्त भूमियो पर प्रवेश नही करे। उक्त भूमियो पर कब्जा अतिक्रमण नही करे इस आशय की विपक्षीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। बहस पर मनन व पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि उक्त वादग्रस्त भूमिया प्रार्थी व उसके माता व भाईयो के नाम से खातेदारी में दर्ज है विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होती है अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष मे विरुद्ध विपक्षीगण, के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	

[signature]

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

Scanned with CamScanner